प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I तथा अध्याय II में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है। जहाँ भी आवश्यकता थी वहाँ सूचनाएँ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से प्राप्त की गई।

'वित्तीय प्रतिवेदन' पर अध्याय III विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों तथा सांविधिक निगमों तथा सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन–देनों की लेखापरीक्षा से सामने आई अभ्युक्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन को पृथक रुप से प्रस्तुत किया गया है।